

थाना वजीरगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता महिला हत्या के अपराधी गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा जनपद बदायूं के कुशल निर्देशन में एव पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी बिसौली विनय सिंह चौहान के नेतृत्व में थानाध्यक्ष अमित कुमार थाना वजीरगंज बदायूं द्वारा थाना क्षेत्र में दो दिन पूर्व ग्राम रुपपुरा थाना वजीरगंज के जंगलो में पडा मिला महिला के अज्ञात शव की शिनाख्त श्रीमति मिथलेश पत्नी उमेशपाल निवासी ग्राम रुपपुरा थाना वजीरगंज जिला बदायूं उम्र करीब 35 वर्ष के रूप में हुई है, जिसके सम्बन्ध में स्थानीय थाना पर मृतिका की मां वीरावती पत्नी प्रेमचन्द जाटव निवासी ग्राम इमलिया थाना कुँवरगाँव जिला बदायूं द्वारा मु0अ0स0 16/2021 धारा 302 भादवि बनाम 1.उमेशपाल पुत्र गेदनलाल 2.संजीव पुत्र गेदनलाल 3.रामवती पत्नी गेदनलाल 4.संजीव की पत्नी (नाम अज्ञात) 5.गेदनलाल पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम रुपपुरा थाना वजीरगंज जिला बदायूं के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन कर व स्वाट टीम/सर्विलांस प्रभारी श्री रामगोपाल शर्मा व उनकी टीम के सहयोग से अभियुक्तगण 1.उमेशपाल पुत्र गेदनलाल 2.संजीव पुत्र गेदनलाल को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार गये अभियुक्तगणों द्वारा कड़ाई से पूछताछ पर अभियुक्तगणों द्वारा घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि उमेशपाल की पत्नी मृतिका मिथलेश के गैर मर्दों से सम्बन्ध थे जिससे उमेशपाल की समाज में बदनामी हो रही थी कई बार उमेशपाल के समझाने के बाद भी मृतिका मिथलेश ने अपनी आदत नहीं छोड़ी और गाँव के ही सत्यवीर के साथ देर रात को शौच का बहाना बनाकर सम्बन्ध बनाने अपने घर के पीछे वाले जंगल में चली गयी थी तो उमेशपाल व उसका भाई संजीव उसके पीछे पीछे उसको तलाश करने निकल गये थे उमेशपाल व उसके भाई संजीव ने मिथलेश को सत्यवीर के साथ दिखा तो तभी सत्यवीर मौके से भाग गया था और यह देखकर उमेशपाल ने क्रोध में आकर अपनी पत्नी मृतिका मिथलेश के साथ मारपीट करने लगा और अपने भाई संजीव के कहा कि यह इसी तरह हम लोगो की गांव में बदनामी कराती रहेगी तो गुस्से में आकर संजीव और उमेशपाल ने उसके गले में पड़े शोल (स्टाल) से फन्दा बनाकर उसका गला इतना कस दिया कि दम घुटने के कारण वह झटपटाने लगी और हाथ पैर चलाने लगी तो संजीव ने उसके हाथ पकड़ लिये थे कुछ देर बाद दम घुटने के कारण मिथलेश की मृत्यु हो गयी थी । अभियुक्तगण उमेशपाल व संजीव द्वारा घटना को अपने परिवार की लगातार हो रही बेईज्जती के कारण करना स्वीकार किया है दोनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधिकारीगण जनपद बदायूं द्वारा उक्त अभियोग का सफल अनावरण करने पर अमित कुमार वजीरगंज बदायूं एवं संयुक्त स्वाट / सर्विलांस पुलिस टीम की प्रशंसा की एवं जनता के लोगो द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. उमेशपाल पुत्र गेदनलाल निवासी ग्राम रुपपुरा थाना वजीरंगज जिला बदायूं (मृत्तिका का पति)
2. संजीव पुत्र गेदनलाल निवासी ग्राम रुपपुरा थाना वजीरंगज जिला बदायूं (मृत्तिका का देवर)

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 16/2021 धारा 302 भादवि थाना वजीरंगज बदायूं ।

अनावरण करने वाली पुलिस टीम ।

2. श्री राम गोपाल शर्मा प्रभारी निरी0 स्वाट/सर्विलांस मय टीम
3. थानाध्यक्ष –श्री अमित कुमार वजीरंगज बदायूं
4. आरक्षी 1370 योगेन्द्र सिंह थाना वजीरंगज बदायूं
5. आरक्षी 1367 सोवेन्द्र सिंह थाना वजीरंगज बदायूं
6. म0का0 59 भावना थाना वजीरंगज बदायूं

सोशल मीडिया सैल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

जनपद बदायूं।